छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक /03/2012

क्रं.: एफ–9–7/तक.शि./42/2012, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के परिनियम कं 18 के बिन्दु कं. 4 सी में उल्लेख है कि संस्था को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व शासन अथवा संचालनालय से अनुमति आवश्यक है। यह अनुमति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात संचालनालय, तकनीकी शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के रूप में जारी किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित स्थिति में आवश्यक रहेगा।

1. नवीन संस्था प्रारंभ करने हेतु
2. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु
3. पाठ्यक्रम क्षमता में वृद्धि करने हेतु
4. पाठ्यक्रम के आवश्यकतानुसार द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए

अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व संस्था का निरीक्षण करना आवश्यक होगा। निरीक्षण समिति शासन द्वारा गठित की जायेगी। निरीक्षण दो सेमेस्टर अर्थात एक वर्ष के आधार पर की जायेगी। यदि किसी संस्था/पाठ्यक्रम के निरीक्षण के दौरान कमी पाई जाती है तो इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यकता अनुसार 15 से 30 दिन का समय दिया जायेगा एवं पुनः निरीक्षण किया जायेगा। पुनः निरीक्षण पर फीस सामान्य फीस से दुगुनी लगेगी। दूसरी बार निरीक्षण में कमी पाये जाने पर सत्र के आने वाले प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में उस संस्था/पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया जायेगा। बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी एवं बिना संबद्धता के नवीन संस्था/पाठ्यक्रम/बढ़े हुए क्षमता में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी।

किसी नवीन संस्था/पाठ्यक्रम को केवल उतने ही वर्ष तक अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी जितने वर्ष हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित है। अर्थात चार वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी की जायेगी। यदि किसी पाठ्यक्रम में क्षमता वृद्धि की जाती है तो भी संस्था को इसके लिए पाठ्यक्रम अवधि की वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के Approval process hand book के अनुसार निम्नलिखित कार्यों हेतु संस्था को निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना है।

1. संस्था के नाम परिवर्तन हेतु
2. संस्था के स्थान परिवर्तन हेतु
3. पाठ्यक्रम एवं संस्था बंद करने हेतु
4. प्रवेश क्षमता में कमी करने हेतु
5. महिला शिक्षा संस्था को सहशिक्षा संस्था में परिवर्तन करने हेतु

क्रमशः 2

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर
A.D.(Acad.)/APPL
दिनांक 12 MAR 2012
संचालक

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
आवक क्रं 328 टेनों
दि. 13-3-12
(छत्तीसगढ़ राज्य) रायपुर

उपरोक्त में से बिन्दु कं. 02 एवं 05 के लिए निरीक्षण आवश्यक होगा । शेष बिन्दु के लिए निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी संस्था/सोसायटी के संकल्प एवं शपथ पत्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा सकेंगे।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रम के लिए जहाँ निरीक्षण की आवश्यकता होगी वहाँ निरीक्षण/प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग फीस तथा अनापत्ति शुल्क देय होगा तथा जहाँ निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ केवल अनापत्ति शुल्क देय होगा। प्रोसेसिंग फीस तथा अनापत्ति शुल्क के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।

DD(Acad)
13/3/12
Ad/6631

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.डी. कुन्दानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्रं.: एफ–9–7/तक.शि./42/2012 रायपुर, दिनांक07/03/2012

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.).
2. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़, बैरन बाजार, रायपुर ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, श्यामला हिल्स, भोपाल (म0प्र0)।
4. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर–8, भिलाई, जिला–दुर्ग।
5. मास्टर फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग